राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: प्रमुख आपत्तियाँ

1. NEP 2020 का क्रियान्वयन पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसे संसद से पारित नहीं कराया गया है।

2. NEP 2020 पूरे तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि यह शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के राज्य सरकारों के अधिकारों को भंग करता है जबकि शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे विषय पर कोई निर्णय आमतौर पर राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए। केंद्रीय नियामक निकाय, केंद्रीकृत पात्रता व मूल्यांकन परीक्षण और कक्षा 3, 5, और 8 में केंद्रीकृत परीक्षाओं को लागू करके यह नीति ज़रूरी अकादमिक और शैक्षणिक निर्णय लेने के राज्य सरकारों को संवैधानिक रूप से प्रदान संघीय अधिकार को दरकिनार करती है।

3. NEP 2020 प्राचीन काल के स्वर्ण युग होने के खारिज किए जा चुके उसी औपनिवेशिक विचार को स्थापित करता है जिसमें जाति और लिंग आधारित भेदभाव को उपेक्षा की गई थी। यह गौतम बुद्ध और महावीर के साथ-साथ प्राचीन काल में चार्वाक के दार्शनिक कार्य और मध्यकाल के दौरान सूफी-भक्ति, इस्लामी और सिख परंपराओं के ज्ञान और बहस की गैर-ब्राह्मणवादी धारा के समृद्ध योगदान की पूरी तरह से उपेक्षा करता है।

4. NEP 2020 असंवैधानिक है क्योंकि यह समानता के उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसका पालन राज्य की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। ये नीति देश की 85 - 90 फीसदी वंचित आबादी के लिए स्कूल परिसर जैसे घटिया शैक्षिक प्रावधान, एकल शिक्षक विद्यालय, घर बैठे शिक्षा, दो स्तर के कोर्स और शिक्षा, डिजिटल इ-विद्या द्वारा एक-पक्षीय डिजिटल शिक्षा और मुक्त विद्यालयी जैसे प्रावधान करती है जो समानता के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है।

5. NEP 2020 तथाकथित 'मेरिट' की भ्रामक अवधारणा के माध्यम से, प्रवेश, भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान की और सामाजिक न्याय के अन्य विधिवत प्रावधानों, जैसे छात्रवृत्ति, फैलोशिप, हॉस्टल, सब्सिडी आदि की अनदेखी करता है।

6. नीति में 'मेरिट' को शिक्षकों की योग्यता और पात्रता शर्तों के रूप में नहीं बल्कि "संस्था और समाज के प्रति प्रतिबद्धता और नेतृत्व गुणों को दिखाने" के रूप में समझा गया है। इससे 'राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध' व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक व दूसरे ऊँचे पदों पर लाने की गुंजाइश बनती है।

7. NEP 2020 में भेदभाव से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

8. नीति जानबूझकर 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' शब्द की अनदेखी करती है जो आजादी की लड़ाई की विरासत का हिस्सा हैं।

9. इसमें कहीं भी सभी बच्चों के लिए या वंचित वर्गों के लिए "मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा" के संवैधानिक जनादेश का उल्लेख नहीं है।

10. NEP 2020 हमारे 85% से 90% बच्चों और युवाओं को पूर्णकालिक औपचारिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बाहर कर देगा, उन्हें घटिया और प्रतिगामी शिक्षा की तरफ खदेड़ देगा और उन्हें कम वेतन वाले बाल श्रम या पारिवारिक व्यवसायों की ओर धकेल देगा, जिससे जाति व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

11. नीति शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं की भूमिका को कम करता है। जहाँ शिक्षा अधिकार कानून में आठवीं कक्षा तक की शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं के इस्तेमाल का प्रावधान था NEP 2020 इसे केवल 5वीं तक सीमित कर देती है। पुराने कानून की

तरह इसमें भी “जहां तक संभव हो” जैसी शर्त रखी गई है जिससे यह सीमित प्रावधान भी अमल में लाने की सम्भावना कम हो जाए।

12. यह एकरूपता और केंद्रीकरण की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है जो अनिवार्य रूप से मातृभाषाओं, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं, और ज्ञान की विविधता और प्रगति के विरोधी हैं।

13. NEP 2020 उर्दू के बारे में कहीं कुछ नहीं बोलता है, संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध होने के बावजूद। इसके उलट, यह शिक्षा के हर स्तर पर, संस्कृत को थोपने का प्रयास करता है।

14. यह पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं करता है।

15. तीसरी कक्षा के बाद PARAKH के जरिए केंद्रीकृत परीक्षाएं आयोजित करवा कर यह नीति शिक्षा अधिकार कानून की ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को कमज़ोर करती है। इसकी वजह से वंचित वर्ग (या बहुजन अवाम) तालीम से भारी संख्या में बाहर किया जाएगा।

16. यह शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देता है परोपकारी संस्थानों के स्थापना के नाम पर, बिना किसी भी प्रभावी तंत्र की स्थापना के। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स अनुदानों में कमी, छात्र ऋणों, छात्रवृत्ति में कमी को बढ़ावा देता है।

17. यह शैक्षिक संस्थानों के शुल्क और वेतन संरचनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, वे केवल ऑनलाइन पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करते हैं यानी "लूट और शोषण करो फिर घोषणा कर दो"!

18. यह राष्ट्रीय प्रत्यायन(Accreditation) प्रणाली से जुड़ी ग्रेडेड स्वायत्तता की अवधारणा के माध्यम से सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को नष्ट करता है।

19. उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुदान को NAC और आउटपुट की गुणवत्ता से जोड़ना यह दर्शाता है कि केवल कुछ बेहतर प्रदर्शन करने वाले (कुलीन) संस्थानों को ही सरकारी फंडिंग मिल पाएगी, इसमें बहुतेरे संस्थान पीछे रह जाएँगे और सरकारी स्कूलों की भांति बंदी के कगार पर आ जाएंगे।

20. NEP 2020 चार-वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स की सिफारिश करता है जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ संघर्षरत विद्यार्थियों और शिक्षकों की मांग पर खुद भाजपा ने इसे वहाँ से खत्म किया था।

21. स्नातकोत्तर को 2 वर्ष से घटाकर एक वर्षीय बनाया जाएगा और एमफिल डिग्री को हटा दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शोध की क्षमता प्रभावित होगी। साथ ही, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के कार्यों में भी उतार-चढ़ाव आएगा।

22. औपचारिक शिक्षा से बाहर निकलने के कई विकल्प देने के बहाने दरअसल यह नीति 'ड्रॉपआउट' या सही शब्दों में कहें तो तालीम से बेदखली को वैधता देती है। गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों एवं महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा में वापस लौटना काफी मुश्किल होगा।

23. वैसे तो NEP 2020 उच्च शिक्षा की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के कठोर होने की आलोचना करता है लेकिन इसमें प्रस्तावित 'उच्च शिक्षा आयोग' (HECI) उसके चार अंगों (NHERC, NAC, HEGC, GEC) की व्यवस्था के चलते उच्च शिक्षा के हर स्तर पर केंद्रीकरण बढ़ जाएगा।

24. इसमें प्रस्तावित 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' (NRF) के माध्यम से अकादमिक शोध पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हो जाएगा जिससे शोध में पहलकदमी, रचनात्मकता और उत्साह खत्म हो जाएगा।

25. संविधान के अनुच्छेद 246 को नजरअंदाज करते हुए नीति में सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के दाखिले के लिए NTA के माध्यम से केंद्रीकृत परीक्षा की व्यवस्था करती है। ऐसी व्यवस्था से देश के विभिन्न हिस्सों की स्कूली शिक्षा में मौजूद गैर-बराबरियों व विषमताओं का दुष्प्रभाव और बढ़ेगा। इसके अलावा, PARAKH और NTA की वजह से न सिर्फ कोचिंग बिजनेस और मूल्यांकन के आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे वंचित व दमित जातियों व वर्गों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा।

26. नियमित शिक्षा के विकल्प के रूप में शिक्षा के सभी स्तरों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जबकि ये बहुसंख्यक बच्चों के बहुमत के लिए उपलब्ध ही नहीं हैं।

27. छात्रवृत्तियों को कथित तौर पर मेरिट के आधार देने की केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका अर्थ है कि सामाजिक वंचन पर आधारित छात्रवृत्तियाँ खत्म कर दी जाएंगी और इनकी कुल संख्या भी घट जाएगी।

28. विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने व्यापार का संचालन करने और अपने मुनाफों को कहीं भी निवेश करने की छूट दी जा रही है। यह उच्च शिक्षा के पहले से ही स्तरीकृत प्रणाली में एक और परत जोड़ देगा; सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रतिभा के पलायन को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों व अभिभावकों के उपर शैक्षिक कर्ज का भयावह बोझ पड़ेगा।

29. यह 200-बिंदु रोस्टर के अनुसार शिक्षकों की सभी रिक्त पदों पर समयबद्ध स्थायी नियुक्तियों से इनकार करता है।

30. यह उचित और समयबद्ध तरीके से संविदा व पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।

31. यह आंगनवाड़ी/ईसीसीई कार्यकर्ताओं को न तो पूर्णकालिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षक का पद देता है और न ही उनके उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

32. यह स्थायी शिक्षकों की पदोन्नति, 2003 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पेंशन और कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त शिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश व स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दों को नजरअंदाज करता है।

33. इसमें सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों को पूरे 'स्कूल कॉम्प्लेक्स' में काम करने की व्यवस्था की गई है जो 5 किमी से 10 किमी के दायरे में फैले होंगे और दुर्गम इलाकों में भी हो सकते हैं। इससे शिक्षक को होने वाली परेशानी पर ध्यान नहीं दिया गया है।

34. स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव और निजी स्कूल के साथ सरकारी स्कूल को जोड़ने के विचार के माध्यम से NEP 2020 विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को कम करने और पड़ोस के सरकारी स्कूलों की अवधारणा को कमजोर करने का रास्ता खोलता है जिससे उनके बन्द होने या निजी स्कूल में विलय होने का मार्ग प्रशस्त होता है ।

35. यह नियोक्ताओं को कर्मचारियों की प्रोबेशन अवधि बढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे शिक्षकों के शोषण की गुंजाइश बनती है।

36. यह संविदाकरण को बढ़ावा देने के लिए टेन्योर ट्रैक प्रणाली की सिफारिश करता है।

37. वरिष्ठता या अनुभव अब पदोन्नति में का मानदंड नहीं होगा।

38. यह पदोन्नति में आरक्षण / सामाजिक न्याय के मानदंडों को समाप्त करता है।

39. यह निजी स्कूल के शिक्षकों के वेतन संरचना को नियंत्रण-मुक्त करता है। सरकारी और निजी स्कूलों की जोड़ी बनाने के प्रस्ताव को देखते हुए यह व्यवस्था सरकारी स्कूल शिक्षकों के वेतन ढांचे को भी प्रभावित करेगी।

40. NEP 2020 में 'स्वयंसेवकों', 'सामाजिक कार्यकर्ताओं', 'परामर्शदाताओं', 'स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों', 'स्कूल के पूर्व छात्रों', 'सक्रिय और स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों' और 'सार्वजनिक-उत्साह' समुदाय के सदस्यों की बड़े पैमाने पर भर्ती का प्रावधान है जो पूर्व प्राथमिक से लेकर स्कूली शिक्षा के हर चरण पर होगी। ज़ाहिर है सत्ता में बैठी पार्टी व संगठन अपने कार्यकर्ताओं को स्कूली शिक्षा में जगह देकर अपने वैचारिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे।

41. इससे आगे, सामूहिक सौदेबाजी के लिए शिक्षक संगठनों के लिए कोई जगह नहीं होगी और नहीं छात्र संगठनों को आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी ।

42. सत्ता के केन्द्रीयकरण के लिए विश्व व्यापार संगठन -टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता(गैट) के हुक्म के मुताबिक एकल खिड़की प्रणाली की मंजूरी के लिए कार्य किया जा रहा है ताकि निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ धार्मिक कट्टरतावाद को आगे बढ़ाने के लिए संविधान विरोधी ब्राह्मणवादी, जातिवादी और पितृसत्तात्मक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडों को आगे बढ़ाया जा सके।

43. घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को एक-जैसा मानना खतरनाक है। मातृभाषा की जगह पर क्षेत्रीय या किसी सूबे की भाषा थोपी नहीं जा सकती, चाहे मातृभाषा बोलने वाले की संख्या कितनी भी काम हो ।

44. त्रि-भाषा सूत्र 1960 के दशक से ही काफी विवाद , प्रतिरोध और विभिन्न व्याख्याओं के दौर से गुजरता रहा है । बावजूद इसके, मौजूदा शिक्षा नीति के दस्तावेज़ में इसकी व्याख्या मौजूद नहीं है।

45. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़े दावों के साथ वाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा को एक गुप्त कार्ययोजना है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बाजार के हवाले करने के लिए है।

46. इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा को कक्षा 1 और 2 के साथ समायोजित किया जाएगा बिना किसी सार्वजनिक बजट की सुनिश्चितता के।

47. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहला ऐसा दस्तावेज है जो निजी संस्थानों को मुनाफा कमाने और शिक्षा के क्षेत्र मे देश के अंदर और बाहर निवेश करने की छूट देता है।

48. लंबे अरसे से स्थापित निवेश आधारित अवधारणा की जगह परिणाम आधारित अवधारणा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आरएसएस द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों मे संचालित एकल विद्यालय (एकल शिक्षक स्कूल) को वैधानिकता देती है और वैसे बजट स्कूलों को बढ़ावा देती है जहां पर्याप्त अधिसंरचना और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं।

49 निजी क्षेत्र, समुदाय, शिक्षार्थी या अभिभावक के वित्तीय सहायता के बगैर सिर्फ सरकारी व्यय से सार्वजनिक शिक्षा की सुनिश्चितता के संबंध में तपस मजूमदार कमेटी (2005) की सलाह को दरकिनार कर मौजूदा शिक्षा नीति न सिर्फ निजी निवेश, बल्कि शिक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वकालत करती है।

50. बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा देते हुए , राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चतुराई से संसाधनों की कमी को सिद्ध करना चाहती है। संसाधनों की कमी के झूठ को 1835 के मैकाले के दास्तावेज़ से ही प्रचारित किया जाता रहा है। यह इसलिए किया जाता रहा है कि उच्च वर्ग का आधिपत्य ज्ञान, रोजगार और समाज पर बरकरार रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास के सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन की गैर-मौजूदगी संसाधनों की कमी की वजह से नहीं है। यह तो राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी की वजह से है।

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम)
वेबसाइट: www.aifrte.in
ईमेल: aifrte.secretariat@gmail.com